सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ऑन लाईन नं. RCMS 2015/00123

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : डा. गुजन सोनी आर0ए0एस0
अपील प्रकरण सं0 77/2015

1. सुशील कुमार पुत्र रजीराम जाति कुम्हार निवासी 8 एम.एल. महियावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. सुनील पुत्र रजीराम जाति कुम्हार निवासी 8 एम.एल. महियावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. मुकेश कुमार पुत्र रजीराम जाति कुम्हार निवासी 8 एम.एल. महियावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. राजेन्द्र पुत्र दुनीराम जाति कुम्हार निवासी 8 एम.एल. महियावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. विनोद पुत्र दुनीराम जाति कुम्हार निवासी 8 एम.एल. महियावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
6. सुरेन्द्र पुत्र दुनीराम जाति कुम्हार निवासी 8 एम.एल. महियावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
7. जयपाल पुत्र रामकरण जाति कुम्हार निवासी 8 एम.एल. महियावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार भू–अभिलेख श्रीगंगानगर।
2. करतारो देवी पत्नी स्व0 हुकमाराम पुत्र नन्दराम जाति कुम्हार निवासी 8 एम. एल. महियावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. रजिराम पुत्र स्व0 हुकमाराम पुत्र नन्दराम जाति कुम्हार निवासी 8 एम.एल. महियावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. दुनीचन्द पुत्र स्व0 हुकमाराम पुत्र नन्दराम जाति कुम्हार निवासी 8 एम.एल. महियावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. रामकरण पुत्र स्व0 हुकमाराम पुत्र नन्दराम जाति कुम्हार निवासी 8 एम.एल. महियावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
6. मनफूल पुत्र नन्दराम जाति कुम्हार निवासी 8 एम.एल. महियावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
7. रामलाल पुत्र नन्दराम जाति कुम्हार निवासी 8 एम.एल. महियावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधि0

उपस्थित :
1.श्री जगमोहन आहूजा अधिवक्ता अपीलार्थी
2.श्री बलकरण सिंह बराड़ अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

ऑन लाईन नं. RCMS 2015/00123

:: आदेश ::

दिनांक :– 18.02.2020

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि आदेश जेर अपील दिनांक 24.01.2013 तहसीलदार श्रीगंगानगर गलत, खिलाफ कानून, खिलाफ वाक्यात होने से हर प्रकार से निरस्तनीय है। चक 8 एम.एल. के मुरब्बा नम्बर 13,33,35 की कुल 41 बीघा 10 बिस्वा अपीलांटस के परदादा स्व0 नन्दराम पुत्र लक्ष्मणराम के नाम से खातेदारी दर्ज होने से जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2026 से 2035 से स्पष्ट है कि अराजी चौथी पीढी में आने के कारण हर प्रकार से जद्दी जायदाद है तथा अपीलांटस का जन्म से इसमें हक हिस्सा बनता है इसी प्रकार रेस्पोडेंट को जद्दी जायदाद का बंटवारा करवाने का ना तो कानूनन कोई हक तथा अधिकार था तथा ना ही तहसीलदार अदालत मातहत द्वारा इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई यदि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आराजी जेर बहस के सम्बन्ध में जांच की गई तथा पुराना रिकॉर्ड मंगवाकर देखा गया होता तो यह स्पष्ट हो जाता कि अराजी जेर बहस जद्दी जायदाद है तथा कानूनन बिना अपीलांटस को सुनवायी क अवसर दिये बंटवारा नहीं किया जा सकता इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का आदेश गलत यकतरफा होने व न्याय के प्राकृतिक सिद्वांतो की पालना ना करने के कारण निरस्तनीय है। अधिनस्थ न्यायालय ने किसी प्रकार से कानूनी अथवा न्यायिक प्रकिया नहीं अपनायी ना ही कोई आपत्ति सूचना प्रकाशित की केवल मात्र रेस्पोडेंट के मिलीभगत करके गलत सहमति बतलाकर विभाजन करवाने व पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट दिनांक 24.01.2013 पर आदेश जेर अपील पारित किया है। अपीलांट कभी विभाजन से सहमत नहीं रहे है जबकि उनका जन्म से हक हिस्सा बनता है तथा कब्जा भी मुश्तरका चला आ रहा है अतः कब्जा के अभाव में भी रेस्पोडेंट के नाम से विभाजन का आदेश पारित नहीं किया जा सकता था ना ही तहसीलदार को बिना अपीलांटस की सहमति के विभाजन करने का कोई अधिकार ही हासिल था। अपील अपीलांट काबिल समाअत अदालतवाला है तथा उचित न्यायशुल्क पर इलम से अन्दर मियाद पेश है। अतः अपील स्वीकार की जाकर आदेश अधीनस्थ न्यायालय निरस्त फरमाया जावें।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी लिखित बहस में कहा है कि आदेश जेर अपील दिनांक 24.01.2013 तहसीलदार श्रीगंगानगर गलत, खिलाफ कानून, खिलाफ वाक्यात होने से हर प्रकार से निरस्तनीय है। चक 8 एम.एल. के मुरब्बा नम्बर 13,33,35 की कुल 41 बीघा 10 बिस्वा अपीलांटस के परदादा स्व0 नन्दराम पुत्र लक्ष्मणराम के नाम से खातेदारी दर्ज थी जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2026 से 2035 से स्पष्ट है कि अराजी चौथी पीढी में आने के कारण हर प्रकार से जद्दी जायदाद है तथा अपीलांटस का जन्म से इसमें हक हिस्सा बनता है इसी प्रकार रेस्पोडेंट को जद्दी जायदाद का बंटवारा करवाने का ना तो कानूनन कोई हक तथा अधिकार था तथा ना ही तहसीलदार अदालत मातहत द्वारा इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ना तो जांच की गई तथा ना ही पुराना रिकॉर्ड मंगवाकर देखा गया। कानूनन बिना अपीलांटस को सुनवायी का अवसर दिये बंटवारा नहीं किया जा सकता इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का आदेश गलत यकतरफा होने व न्याय के प्राकृतिक सिद्वांतो

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

की पालना ना करने के कारण निरस्तनीय है। अतः अपील स्वीकार की जाकर आदेश अधीनस्थ न्यायालय निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा अपने आदेश दिनांक 24.01.2013 से चक 8 एम.एल. के खाता संख्या 51/49 मुरब्बा नम्बर 13,33,35 की कुल 10.501 हैक्टर जद्दी जायदाद का विभाजन किया किया गया है वह सही है एवं उक्त आदेश की पालना जो इन्तकाल दर्ज किया गया वह विधिसम्मत् है। क्योंकि इन्तकाल एक फीजिकल प्रोसिडिंग है। अपीलांट चौथी पीढी में आकर अपना हक मांग रहे है अगर अपीलांट को अपना हक साबित करना है तो वो रेगूलर शूट फाईल कर प्राप्त कर सकते है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें ।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा अपने आदेश दिनांक 24.01.2013 से चक 8 एम.एल. के खाता संख्या 51/49 मुरब्बा नम्बर 13,33,35 की कुल 10.501 हैक्टर जद्दी जायदाद का विभाजन किया किया गया है वह सही है एवं उक्त आदेश की पालना जो इन्तकाल दर्ज किया गया वह विधिसम्मत् है। क्योंकि उक्त विवादित भूमि के सम्बन्ध में अपीलांट का कोई हक बनता है तो वो रेगूलर सूट फाईल कर ही प्राप्त किया जा सकता है। अतः अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर तहसीलदार श्रीगंगानगर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.01.2013 बहाल रखा जाता है। आदेश की प्रमाणित प्रति तहसीलदार श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं रिकॉर्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 18.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डा. गुजन सोनी)
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन) श्रीगंगानगर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)